फोन: 0291 -5153703

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर

प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org , E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./जोध/लेखा/2021-22/433 दिनांक: 12.04.2021

वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 26.03.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा समिति का उपवेशन दिनांक 26.03.2021 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षयता में 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. प्रो. डॉ. अभिमन्यु कुमार, कुलपति — अध्यक्ष
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. श्री अरूण पुरोहित,अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर — सदस्य
   प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. श्रीमती सीमा कविया, कुलसचिव — आमंत्रित सदस्य
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ला, प्राचार्य — सदस्य
   आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर
5. प्रो. राजेश कुमार शर्मा, — सदस्य
   क्रिया शरीर विभाग, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर।
6. डॉ. केशव भारद्वाज, अति.निदेशक, आयुर्वेद विभाग,जोधपुर — सदस्य
   प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
7. श्री तुलसीदास शर्मा, वित्त नियंत्रक — सदस्य सचिव
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव न उपनिवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा हेतु अध्यक्ष महोदय से अमुमति चाही गई। अनुमति पश्चात बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई:-

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु विवरण	वित्त एवं लेखा समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1.	एजेण्डा आईटम संख्या 01 :- गत वर्ष दिनांक 08.01.2020 को हुई बैठक कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	एजेंण्डा आंईटम संख्या 02 :- विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार द्वारा किये गये वित्त वर्ष 2019-20 का आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	सनदी लेखाकार मैसर्स कांसटिया एण्ड कम्पनी द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के किये गये आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	एजेण्डा आईटम संख्या 03 :- आय-व्ययक अनुमान वित्त वर्ष 2021-22 एवं संशोधित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 का अनुमोदन एवं विचार विमर्श	समिति के सदस्यों द्वारा बजट अनुमान वर्ष 2021-22 एवं संशोधित अनुमान वर्ष 2020-21 पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 के अनुसार विश्वविद्यालय के कुल अनुमानित व्यय हेतु प्रावधित राशि 6351.00 लाख पर विचार-विमर्श के दौरान विश्वविद्यालय के स्वंय की आय से पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिये गये। 1. ऑपन थियेटर एवं रंग शाला के साथ स्पॉटर्स कॉम्पलेक्स का निर्माण अनुमानित लागत राशि रूपये 400.00 लाख से किये जाने का निर्णय लेते हुये इस हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 150.00 लाख का प्रावधान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। 2. आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों की मूर्ति स्थापना एवं धनवन्तरी पार्क के निर्माण हेतु राशि रूपये 15.00 लाख के प्रावधान वित्त वर्ष 2021-22 में किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। 3. बी.एस.सी. नर्सिंग छात्रा छात्रावास हेतु राशि रूपये 200.00 लाख से नवीन भवन का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 100.00 का प्रावधान किये जाने की सहमति व्यक्त की गई। 4. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित रोड़ लाइटों को सौलर उर्जा में परिवर्तन एवं नई सौलर रोड़ लाईट की स्थापना हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 20.00 लाख का प्रावधान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।
4.	एजेण्डा आईटम संख्या 04 :- विभागाध्यक्ष, शल्य तन्त्र विभाग से प्राप्त प्रस्ताव चिकित्सा परामर्शी विशेषज्ञ के मानदेय पर विचार विमर्श।	विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात शल्य तन्त्र विभाग में विश्वविद्यालय से बाहर के परामर्शी/ Anesthesia हेतु निम्न राशि स्वीकृत करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। 1. 1500/- प्रति माइनर ऑपरेशन के लिये local Anesthesia 2. 3000/- प्रति मेजर ऑपरेशन General Anesthesia 3. 1500/- माइनर ऑपरेशन हेतु सर्जरी शुल्क 4. 3000/- मेजर ऑपरेशन सर्जरी शुल्क

5.	एजेण्डा आईटम संख्या 05 विद्या परिषद बैठक दिनांक 12.01.2021 के अनुपूरक एजेण्डा 8 में लिये गये निर्णय बी.एन.वाई एस. एवं बी.एससी. आयुर्वेद नर्सिग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये सम्बद्वता शुल्क में आवश्यक संशोधन पर विचार-विमर्श।	विद्या परिषद बैठक दिनांक 12.01.2021 के अनुपूरक एजेण्डा 8 के सम्बंध में माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिर्पोट अप्राप्त है। समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किये जाने पश्चात् उक्त बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय किया गया।
6.	एजेण्डा आईटम संख्या 06 :-कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर से प्राप्त पत्रांक 65 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में प्रबन्ध बोर्ड 24 वॉ उपवेशन दिनांक 15.01.2020 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु स. 12 (1 व 2) में लिये गये निर्णय के संबंध में सम्भागीय आयुक्त महोदय के पत्रानुसार विचार-विमर्श।	प्रबन्ध बोर्ड का 24 वां उपनिवेशन दिनांक 15.01.2021 के कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 12 (अनुपूरक एजेण्डा) के बिन्दु संख्या 01 के अनुसार विश्वविद्यालय में संवेदक के माध्यम से लगे कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी राशि रूपये 400.00 प्रति दिवस भुगतान किये जाने के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने बाबत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बिन्दु संख्या 12 (अनुपूरक एजेण्डा) के बिन्दु संख्या 02 प्रबन्ध बोर्ड/चयन समिति के माननीय सदस्यों को बैठक भत्ता विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से उक्तानुसार/बिन्दु प्रकरण के अनुसार भुगतान किये जाने के सम्बंध में समिति सदस्यों प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। साथ ही वित्त एवं लेखा समिति के सदस्यों को बैठक भत्ता राशि रू 2000/- करने की अनुशषां की गई ।
7	अन्य बिन्दु 1. विश्वविद्यालय छात्र-छात्राओं हेतु नवीन वाहन क्रय(बस) पर विचार-विमर्श	वर्तमान में वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बंध मे जारी परिपत्र दिनांक 03.09.2020 के अनुसार नवीन वाहन क्रय पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति उपरान्त नवीन वाहन क्रय किया जाना उचित होगा। इस हेतु प्रस्ताव बनाया जाकर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाने के सम्बंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। स्वीकृति प्राप्त होने तक विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु वाहन की आवश्यकता पड़ने पर संवेदक के माध्यम से वाहन उपलब्धता करवाई जावें।
	2. राज्य सरकार हेतु नोडल भर्ती एजेन्सी (विश्वविद्यालय) कार्मिकों को प्रति दिवस देय मानदेय पर विचार-विमर्श 1. समन्वयक/सह समन्वयक - 700/- 2. अधिकारीगण - 500/- 3. मंत्रालयिक कार्मिक -400/- 4. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक 300/-	प्रस्ताव के अनुसार विश्वविद्यालय को नोडल भर्ती एजेन्सी के से सम्बंधित कार्य हेतु विश्वविद्यालय के कार्मिकों को नोडल भर्ती एजेन्सी में कार्य करने पर प्रस्तावित मानदेय का अनुमोदन भर्तीवार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 4000/- की सीमान्गर्त मानदेय स्वीकृत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया । मानेदय हेतु कार्य पंजिका का संधारण किया जावे ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्रमांक :- रा.आ.वि./जोध/लेखा/2021-22/434-442 दिनांक: 12.04.2021

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
3. शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय -1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. श्री अरूण पुरोहित, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,जोधपुर।
7. प्रो. गोविन्द सहाय शुक्ल, प्राचार्य आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर।
8. प्रो. राजेश कुमार शर्मा, क्रिया शरीर विभाग, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर।
9. डॉ. केशव भारद्वाज, अति.निदेशक, आयुर्वेद विभाग,जोधपुर।

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव